

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक/विउशिनिफोरा/2026/43

रायपुर, दिनांक : 11 MAY 2026

प्रति,

1. Smt. Nirmala Manekar,
W/o Shri Umrao Manekar,
Kabir Nagar Raipur (C.G.)
Mob.No. 98271-22157
2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),
छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक/11/रायपुर/2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर शहर द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।



(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता नगर वृत्त-दो, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,
गुढ़ियारी, रायपुर ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषय:- अत्यधिक विद्युत देयक जारी करने बाबत ।

प्रकरण क्रमांक / 11 / रायपुर / 2026

Smt. Nirmala Manekar,

....आवेदिका

W/o Shri Umrao Manekar,

Kabir Nagar Raipur (C.G.)

Mob.No. 98271-22157

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (उत्तर),

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 11/05/2026 को घोषित)

1. आवेदिका Smt. Nirmala Manekar द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 18.02.2026 यह है कि "The bill we are getting is too much few months the bill amount is in the range Rs. 200 to 800, and in some months the bill amount is Rs. 2000 to 4000. For example in the month of Jan the bill was Rs. 450, and in the month of Nov, Dec and Feb we received bill of Rs. 2320, 1930 and 3860. Similarly in July Rs. 2430, in Aug Rs. 3030, Sept Rs. 3660. All these are the months of monsoon and winter, where we have not used much electricity also. And we are middle class family, cant afford so much of electricity bill. Kindly look into the matter."

2. यह कि उत्तरवादी प्रतिनिधि सहायक अभियंता कबीर नगर जोन, छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 037 दिनांक 22.04.2026 को सूचित किया है कि :-

यह कि उपभोक्ता श्रीमती निर्मला मानेकर, सर्विस क्रमांक 1004598986 पता एम.डी.-200, फेस 2, कबीर नगर का 4 कि.वॉ. का घरेलू कनेक्शन ऑनलाईन शिकायत दर्ज किये हैं । जिनका निराकरण बिन्दुवार संलग्न है :-

(i) उपभोक्ता द्वारा माह 09/2025 में 119 यूनिट



10/2025 में 367 यूनिट

11/2025 में परिसर बंद

12/2025 में 444 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया गया ।

01/2026 में 541 यूनिट का देयक मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग पंचकर बनाया गया था, जिसे सुधार कर 116 यूनिट का देयक बनाया गया, जिससे उपभोक्ता को 2984.57 रू0 का क्रेडिट प्राप्त हुआ एवं उपभोक्ता को इस प्रकार सितम्बर 2025 में 800 रू0 का देयक एवं दिसम्बर 2025 में 400 रू0 का देयक (परिसर बंद समायोजन के कारण) उपभोक्ता को प्रदान किया गया ।

(ii) उपभोक्ता परिसर का दिनांक 22.04.2026 को कनिष्ठ यंत्री, कबीर नगर द्वारा निरीक्षण करने पर 6287.7 वॉट का भार पाया गया । दिनांक 22.04.2026 को रीडिंग 5260 यूनिट एवं MD-2.14 कि.वॉ. पाई गई । जिससे ज्ञात होता है कि बिलिंग यूनिट, खपत यूनिट से कम है ।

(iii) उपभोक्ता का कथन है कि -

जुलाई 2025 में 2430 रू0

अगस्त 2025 में 3030 रू0

सितम्बर 2025 में 3660 रू0

नवम्बर 2025 में 2320 रू0

दिसम्बर 2025 में 1930 रू0

जनवरी 2026 में 450 रू0

एवं फरवरी 2026 में 3860 रू0 का देयक उपरोक्तानुसार है,

(iv) जो कि सही निम्नानुसार है :-

जुलाई 2025 में 640 रू0

अगस्त 2025 में 3660 रू0

सितम्बर 2025 में 720 रू0

नवम्बर 2025 में 1885 रू0

दिसम्बर 2025 में 440 रू0

जनवरी 2026 में 3860 रू0 सुधार किया गया (-2984.57)

एवं फरवरी 2026 में 1360 रू0

इस प्रकार तथ्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उपरोक्त दर्शित महीनों में देयक उपभोक्ता द्वारा दावा किये देयक से कम या भिन्न है ।



(v). यथा जुलाई 2025 का देयक 2430 रु0 उपभोक्ता कथन है जबकि देयक 640 रु0 है एवं उक्त माह के देयक में जून 2025 का बकाया राशि भी जुड़ा है । दिसम्बर 2025 का देयक 1930 रु0 कथन करता है, जबकि देयक 440 रु0 है एवं जनवरी 2026 का देयक 3860 रु0 कथन करता है उक्त देयक का भुगतान भी उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.02.2026 को कर दिया गया था तथापि इनको 2984.57 रु0 का क्रेडिट प्राप्त हुआ, जिसके कारण माह फरवरी 2026 का देयक -1624.37 Not To Pay प्राप्त हुआ ।

अतः निवेदन है कि उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त देयक जारी नहीं हुआ है, उत्तर आवश्यक कार्यवाही बाबत सादर प्रस्तुत है ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा रखे गये तथ्यों का विवरण :- दिनांक 29.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

3. यह कि कबीर नगर फेज-2, रायपुर स्थित एवं आवेदिका के परिसर में आवेदिका के नाम पर 4.0 कि.वा. भार का घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी.कमांक 1004598986 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदिका के अनुसार विगत कुछ माहों से उनके विद्युत कनेक्शन की मासिक देयक राशि में काफी असमानता दिखाई दे रही है । आवेदिका के अनुसार कुछ माहों का विद्युत देयक उत्तरवादी द्वारा 200.00 से 800.00 रु. राशि के प्रेषित किया गया जबकि कुछ माहों में यह राशि 2000.00 से 4000.00 रु. तक रही है । आवेदिका के अनुसार बारिश एवं ठंड के अपेक्षाकृत कम विद्युत खपत के महीनों का देयक भी उनके विद्युत उपयोग की तुलना में अत्यधिक राशि का होना प्रतीत हो रहा है ।
4. यह कि अपने विद्युत कनेक्शन के मीटर में प्रतिमाह दर्ज खपत में दर्शित असमानता एवं कम विद्युत उपयोग वाले महीनों का देयक भी उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का प्रेषित कर दिए जाने से असंतुष्ट होकर आवेदिका द्वारा उत्तरवादी के आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर-2 में शिकायत (CGRFT2R30000128) दर्ज करायी गयी है ।
5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 37 दिनांक 22.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि माह सितंबर एवं अक्टूबर 2025 में आवेदिका के मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार देयक प्रेषित किया गया था । माह नवंबर में आवेदिका का परिसर बंद होने के आधार पर देयक जारी किया गया जिसका समायोजन माह दिसंबर 2025 के देयक में करते हुए



आवेदिका को राशि 400.00 का देयक जारी किया गया । माह जनवरी 2026 में मीटर रीडर द्वारा त्रुटिवश गलत रीडिंग पंच करते हुए देयक जारी कर दिया गया था जिसमें सुधार करते हुए, राशि रु. 2984.57 का क्रेडिट उपभोक्ता को प्रदान करते हुए वास्तविक खपत का देयक आवेदिका को जारी किया गया है जो कि नियमानुसार है ।

उत्तरवादी के अनुसार दिनांक 22.04.2026 को आवेदिका के परिसर का निरीक्षण किए जाने पर मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही आवेदिका को देयक प्रेषित किया जाना पाया गया । यद्यपि उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के विद्युत कनेक्शन की खपत एवं देयक राशि के पूर्व अवधि के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत खपत एवं देयक राशि संबंधी कई दावे त्रुटिपूर्ण हैं ।

6. यह कि दिनांक 29.04.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि उत्तरवादी द्वारा प्रेषित विद्युत देयकों में उर्जा प्रभार की गणना अलग-अलग माहों में अलग दर से किया जाना दर्शित हो रहा है जो कि विसंगतिपूर्ण है एवं उत्तरवादी की बिलिंग प्रक्रिया के पारदर्शी नहीं होने को दर्शाता है । आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि माह फरवरी 2026 के देयक में उत्तरवादी द्वारा 4.70 रु. के अनुसार उर्जा प्रभार की गणना की गयी है (कुल उर्जा प्रभार/कुल खपत) जबकि माह मार्च 2026 के देयक में उत्तरवादी द्वारा 5.42 रु. के अनुसार उर्जा प्रभार की गणना की गयी है जो कि उत्तरवादी की बिलिंग प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने को दर्शाता है ।

इस संबंध में फोरम द्वारा आवेदिका प्रतिनिधि को बताया गया कि उत्तरवादी के टैरिफ शेड्यूल में निश्चित की गयी स्लैबवार दर के अनुसार ही प्रतिमाह देयक में उर्जा प्रभार की गणना की जाती है । उर्जा प्रभार की ये दरें उनके मासिक विद्युत देयक के सबसे निचले हिस्से में दर्ज हैं । फोरम द्वारा माह मार्च 2026 के आवेदिका के देयक में दर्शित खपत 589 यूनिट के लिए उर्जा प्रभार की गणना आवेदिका प्रतिनिधि के समक्ष उर्जा प्रभार की स्लैबवार दर से की गयी एवं देयक में दर्शित उर्जा प्रभार राशि रु. 3197.40 के साथ इसका मिलान होना बताया गया जिससे आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी ।

7. यह कि फोरम द्वारा आवेदिका प्रतिनिधि को बताया गया कि उत्तरवादी के "मोर बिजली एप" के माध्यम से वे अपने परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर एवं



मासिक देयक से संबंधित सभी जानकारी यथा गणना पत्रक, शासन की योजना के अंतर्गत जारी छूट आदि प्राप्त कर सकते हैं। फोरम द्वारा उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि स्मार्ट मीटर की खपत एवं अन्य जानकारी अपने मोबाईल के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा के संबंध में आवेदिका प्रतिनिधि का उचित मार्ग दर्शन करें।

8. यह कि फोरम द्वारा प्रस्तुत माह मार्च 2026 के देयक की उर्जा प्रभार गणना एवं अन्य जानकारियों से आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं इस संबंध में अन्य किसी प्रकार के संदेह का नहीं होना बताया गया। फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

11. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

निर्णय घोषित किया गया


(निमिष परमार)
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)




(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)